तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज मु.नं. 39/2023 CNR No: 2023/184 श्रीगोपाल V/S ओमप्रिंट वगै. 212 RTA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
06.2.2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षगण उपस्थित। अग्रपीठगण नं. 1 ता 4 के जवाब पी.एम. पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी जवाब पी.एम. पेश नहीं किया गया है। लिहाजा जवाब पी.एम. पेश करने का अवसर बन्द किया जाता है। वादग्रस्त पत्रावली का उभय पक्षगण/अनुगण्डी पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त खेत रकबा अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 124 ता. 5.30 है. पेयजल, गै.मु.री. 0.15 है., ख.नं. 130 ता. 5.99 है., ख.नं. 179 ता. 4.03 है. गै.मु.री. 0.12 है., ख.नं. 202 ता. 2.62 है. वाले रोही ओजाम तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर मजमून खाते दर्ज है। पक्षकारों के बीच सीमा की के खेत है। पक्षकारों द्वारा दर्ज कराई आपत्ति के किसी पक्षकार द्वारा दर्ज कराई किया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता बढ़ेगा। अन्तरिम आदेश सीमा पारित नहीं किया गया तो वाद बाहुल्यता की संभावना है। उभय पक्षगण मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त पार्श्वगण के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा पार्श्वगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान तथा पत्रावली मौके एवं रिकार्ड की समीक्षा नियम रखें। आदेश आज दिनांक 06.2.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली वाद निर्णय हेतु सरिश्ते में रखे जाने योग्य दाखिल दफ्तर है। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। (उमा मित्तल) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 11:12:52 IST
Reason: SelfAttested